

आयुक्त कार्यालय,
उत्तरी छोटानागपुर प्रमण्डल, हजारीबाग

पत्रांक-39(ग)-03(धनबाद)/2024 1524/रा0

प्रेषक,

बासुदेव प्रसाद,
आयुक्त के सचिव,
उत्तरी छोटानागपुर प्रमण्डल,
हजारीबाग।

सेवा में,

उपायुक्त,
धनबाद।

हजारीबाग, दिनांक 09.12......2024

विषय :- धनबाद जिला के बाघमारा अंचल अन्तर्गत मौजा-बरोरा/97 एवं बरमसिया/105 मुराईडीह कोल परियोजना के तहत पड़ने वाली गैरमजरूआ जंगल झाड़ी भूमि का सैद्धांतिक अनापत्ति के संबंध में।

प्रसंग :- भवदीय पत्रांक 3614/रा0, दिनांक 07.12.2024 एवं पत्रांक 3520/रा0, दिनांक 29.11.2024

महाशय,

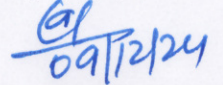
निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के आलोक में कहना है कि विषयांकित परियोजना हेतु आपसे प्राप्त सैद्धांतिक अनापत्ति प्रमाण पत्र इस कार्यालय के पत्रांक 1522, दिनांक 09.12.2024 द्वारा निर्गत कर मूल संचिका संलग्न कागजात सहित अग्रेत्तर कार्रवाई हेतु भेजी जाती है।

अनुलग्नक : यथोक्त।

1. अनापत्ति प्रमाण पत्र मूल में।

2. संचिका संख्या XI-iii/2023 मूल में।

विश्वासभाजन



आयुक्त के सचिव



झारखण्ड सरकार

आयुक्त का कार्यालय, उत्तरी छोटानागपुर प्रमण्डल, हजारीबाग।

पत्रांक 1522,

दिनांक 09.12.2024

प्रमाण-पत्र

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग झारखण्ड सरकार के संकल्प संख्या-5/स0भू0 लातेहार-1/2010 1817/रा0, राँची दिनांक-30.04.2015 द्वारा झारखण्ड राज्यान्तर्गत विभिन्न सरकारी विभागों/कम्पनियों/प्रतिष्ठानों/उद्यमों/एजेन्सियों/निगमों/बोर्ड द्वारा एक परियोजना के अंतर्गत गैरमजरूआ Deemed Forest भूमि (जंगल-झाड़ी), जंगल सखुआ, जंगल इत्यादि के वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत अपयोजन से संबंधित मार्गदर्शिका निर्गत किया गया है।

एतद आलोक में गैरमजरूआ Deemed Forest भूमि (जंगल-झाड़ी), जंगल सखुआ, जंगल इत्यादि जो जिला-धनबाद, अंचल-बाघमारा के अंतर्गत निम्नांकित भूमि का सैद्धांतिक रूप से अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किया जाता है, जो निम्न प्रकार से है:-

मुराईडीह कोलियरी, बरोरा क्षेत्र, धनबाद के खनन पट्टा कार्य के लिए लीज बन्दोबस्ती हेतु:-

क्र0	योजना का नाम	अंचल	ग्राम	थाना नं0	हाल खाता नं0	हाल प्लॉट नं0	गैरमजरूआ खास जंगल/जंगल झाड़ी का रकबा (एकड़ में)
1	मुराईडीह कोलियरी, बरोरा क्षेत्र, धनबाद।	बाघमारा	बरोरा	97	144	155 (P)	0.18
						156(P)	0.08
						157	0.23
						158	0.50
						161(P)	0.52
						178(P)	3.08
						232(P)	0.25
						233(P)	0.75
						235	0.13
						236	0.04
			बरमसिया	105	63	216	0.32
						240(P)	0.41
						391	0.81
						388	0.10
						387	0.42
						415	0.11
						481	0.62
						395	1.68
						396	0.16
						480	0.45
						482	0.06

						26	2.55
						27	5.55
						51	0.35
						54	1.30
						58	0.17
						59	0.17
						61	1.38
						62	1.14
						63	0.80
						64	0.74
						67	0.54
						68	0.30
						69	0.10
						70	0.07
						71	0.65
						72	0.19
						73	0.40
						74	0.44
						76	0.10
						77	0.11
						80	0.24
						81	0.18
						86	0.13
						96	0.35
						97	0.47
						98	0.20
						99	0.15
						129	0.42
						130	5.28
						146	0.15
						150	0.11
						151	4.66
						157	0.61
						100	0.20
						102	0.24
						103	0.24
						104	0.50
						105	0.20
						106	0.38
						110	0.63
						111	0.39
						112	0.47
						113	2.29
						114	0.27

						116	0.62
						119	0.38
						127	1.32
						128	7.32
						195	0.42
						202(P)	0.15
						203(P)	0.10
						204(P)	0.05
						206	0.07
						207	0.24
						208	0.34
						211	0.32
						134	0.80
						136(P)	0.95
						137	0.10
						626	0.62
						627(P)	0.41
						628	1.25
						625	0.06
						461(P)	0.11
						462(P)	0.03
						465	0.17
						511	0.39
						510	0.14
						504	0.14
						506	0.46
						490(P)	0.02
						499	0.24
						495	0.08
						494	0.11
						कुल	64.12 ए०

उपयुक्त वर्णित भूमि मुराईडीह कोलियरी, बरोरा क्षेत्र, धनबाद के खनन पट्टा कार्य के लिए लीज बन्दोबस्ती हेतु कुल-64.12 एकड़ में सन्निहित है तथा अधिसूचित वन भूमि एवं संरक्षित वन भूमि से बाहर है, के अपयोजन हेतु माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के आलोक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार से पूर्वानुमति प्राप्त कर ली जाय। पूर्वानुमति प्राप्त होने के पश्चात् इसके विधिवत हस्तान्तरण हेतु प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा गैरमजरूआ भूमि के हस्तान्तरण की प्रक्रिया की तरह प्रस्ताव समर्पित किया जायेगा। गैरमजरूआ जंगल झाड़ी (Deemed Forest) भूमि के सशुल्क हस्तांतरण/लीज बन्दोबस्ती हेतु राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा राज्यादेश निर्गत किया जायेगा।

अपर समाहर्ता,
धनबाद।
06.12.24

साधवा बिष्टा
07.12.2024
उपायुक्त,
धनबाद।

आयुक्त,
उत्तरी छोटानागपुर प्रमण्डल,
हजारीबाग।

ज्ञापांक 1522/रा0, दिनांक— 09.12.2024

- प्रतिलिपि:—1. अध्यक्ष—सह—प्रबंध निदेशक, बी0सी0सी0एल0, कोयला भवन, कोयलानगर, धनबाद को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।
2. वन प्रमंडल पदाधिकारी, धनबाद को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।
3. उपायुक्त, धनबाद को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित। अनुरोध है कि संकल्प संख्या—5/स0भू0 लातेहार—1/2010 1817/रा0, राँची दिनांक—30.04.2015 में दिये गये निदेश के आलोक में Website के लिंक (Website के नाम सहित) एवं अद्यतन किये गये Upload संबंधी प्रतिवेदन विभाग को अवगत कराते हुए इसकी प्रति इस कार्यालय को उपलब्ध कराई जाय।
4. सरकार के सचिव, राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

Val
06/12/2024
अपर समाहर्ता
धनबाद।
06/12/24 06/12

आयुक्ता
07.12.2024
उपायुक्त,
धनबाद।

F.
9/12
आयुक्ता
उत्तरी छोटानागपुर प्रमण्डल,
हजारीबाग।